प्रेस नोट दिनांक 10-09-2026 जनपद फिरोजाबाद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद फिरोजाबाद पुलिस की बड़ी कार्यवाही — मिशन शक्ति पुलिस टीमों की सक्रियता से गुण्डा अधिनियम के तहत 06 माह में 287 व्यक्तियों के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम की कार्यवाही............

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त मिशन शक्ति पुलिस टीमों द्वारा प्रभावी एवं निरन्तर कार्यवाही की जा रही है............

महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के साथ-साथ **असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने** के उद्देश्य से जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त **मिशन शक्ति पुलिस टीमों** द्वारा थाना पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अपराधियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में **विगत 06 माह में जनपद के विभिन्न थानों पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कुल 287 अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही** की गयी।

मिशन शक्ति पुलिस टीमों द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद, उनकी समस्याओं की जानकारी तथा असामाजिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ-साथ थाना पुलिस को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। टीमों की सक्रियता एवं थाना पुलिस के साथ बेहतर समन्वय के परिणामस्वरूप **अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए जिलाबदर की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है।**

जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त **मिशन शक्ति पुलिस टीमों** द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला अपराध कारित करने वाले असमाजिक व्यक्तियों चिन्हित किया जा रहा है। मिशन शक्ति टीमों द्वारा स्थानीय स्तर पर प्राप्त सूचनाओं एवं फीडबैक को थाना पुलिस तक पहुंचाते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक **श्री आदित्य लांग्हे** द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि **महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता न हो तथा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरन्तर प्रभावी कार्यवाही की जाए।** इसी क्रम में मिशन शक्ति टीमों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील

रहकर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित करने, उनकी समस्याओं का त्वरित संज्ञान लेने तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने के निर्देश दिये गये हैं।

थानावार गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाहीः----

थाना जसराना–38, थाना दक्षिण–33, थाना उत्तर–25, थाना अरांव–23, थाना रामगढ़–17, थाना शिकोहाबाद–17, थाना सिरसागंज–15, थाना टूण्डला–13, थाना लाइनपार–13, थाना रसूलपुर–12, थाना नसीरपुर–12, थाना एका–10, थाना मक्खनपुर–9, थाना फरिहा–8, थाना नारखी–7, थाना पचोखरा–6, थाना रजावली–6, थाना नगला सिंघी–6, थाना खैरगढ़–6, थाना मटसेना–4, थाना बसई मोहम्मदपुर–4, थाना नगला खंगर–3 ।

फिरोजाबाद पुलिस का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ जनपद में भयमुक्त एवं अपराधमुक्त वातावरण कायम करना है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध यह अभियान निरन्तर जारी रहेगा।